

फार्मर फंडींग प्रोडक्ट गाईड



 AXIS BANK

निर्देशिका

अनु. क्र.	विवरण	पेज नं.
1.	किसान पावर	01
2.	किसान समर्थ 2.0	02
3.	किसान तत्काल	03
4.	किसान मत्स्य	04
5.	पोल्ट्री पावर	05
6.	डेरी पावर	06
7.	पीएम कुसुम	07-08
8.	दस्तावेजों की सूची	09

किसान पावर

उद्देश्य

प्रोडक्शन क्रेडिट (उपज कर्ज): फसल उगाने और कटाई पश्चात के खर्चों को पूरा करने के लिए। कृषि, पशु पालन और मत्स्य पालन के अंतर्गत किसान की सामान्य खपत और कृषि संपत्तियों के रखरखाव संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।

टर्म लोन्स (सावधि कर्ज): निवेश की ज़रूरतों और कृषि विकास संबंधी गतिविधियों के लिए।

विशेषताएं

आयु - 18–75 वर्ष

(60 वर्ष से अधिक आयु के लिए सह-कर्जदार आवश्यक)

अवधि - 5 वर्ष

भूधारिता - केसीसी के लिए न्यूनतम 1 एकड़

अन्य विवरण - टर्म लोन पाने के लिए प्रोडक्शन क्रेडिट (उत्पादन का श्रेय) लेना होगा

कर्ज राशि - ₹.25,001 – ₹.2.5 करोड़

विशेष खूबिया

- स्पर्धात्मक ब्याज दरें और प्रक्रिया शुल्क
- रिलेशनशिप मैनेजर की सुविधाएँ
- सभी अधिसूचित फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (योजना से बाहर रहने के विकल्प के साथ)
- डिजिटल सुविधा के लिए रूपे डेबिट कार्ड
- दुर्घटना इंश्योरेंस कवर
- फसल चक्र के समन्वय में वार्षिक और अर्ध वार्षिक ब्याज का प्रयोग

किसान समर्थ 2.0

उद्देश्य

किसानों की घरेलू खपत संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए।
आय के अन्य स्रोतों के साथ प्रगतिशील किसानों के लिए विशेष
रूप से निर्मित।

विशेषताएं

आयु - 18-75 वर्ष

(60 वर्ष से अधिक आयु के लिए सह-कर्जदार आवश्यक)

अवधि - 3.5 वर्ष

पात्रता - न्यूनतम भूधारिता: 5 एकड़

न्यूनतम रु.5 लाख की आईटीआर आय

कर्ज राशि - रु.1,00,001 - रु.5 करोड़

विशेष खूबियाँ

- स्पर्धात्मक ब्याज दरें और प्रक्रिया शुल्क
- अतिरिक्त दर्ज आय के स्रोत वाले किसानों के लिए उपयुक्त

किसान तत्काल

उद्देश्य

ऐक्सिस बैंक के साथ रखी गई टर्म डिपॉजिट के प्रति किसानों के लिए ओवरड्राफ्ट सीमा

इन जरूरतों को पूरा करने के लिए:

1. फसल उगाने/संलग्न कृषि गतिविधियाँ/पट्टे की ज़मीन का किराया/फसल बीमा इत्यादि
2. खेती की मशीनरी, उपकरण का मरम्मत कार्य और रखरखाव, खेत का विकास और किसान की खपत संबंधी आवश्यकताएँ

विशेषताएं

अवधि - 1 वर्ष

पात्रता - सिर्फ ऐक्सिस बैंक के साथ टर्म/फिक्स्ड डिपॉजिट

- 5 लाख से कम की सीमाओं के लिए
 - कर्जदारों से घोषणा कि वे किसान हैं
- 5 लाख से अधिक सीमाओं के लिए
 - न्यूनतम 0.5 एकड़ भूमि

विशेष खूबियाँ

- कर्ज की सेवा देने और प्रक्रिया के लिए रिलेशनशिप मैनेजर की सुविधाएँ
- ज़रूरत के समय में एफडी तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं
- शून्य पेनल चार्जेस
- शून्य प्रक्रिया शुल्क
- शीघ्र वितरण

किसान मत्स्य

उद्देश्य

- कैश क्रेडिट: मछली और झींगा पालन के लिए बार-बार होनेवाले खर्चों को पूरा करने के लिए
- टर्म लोन: नए तालाबों/टांकियों या जलमार्ग के निर्माण जैसी निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए

विशेषताएं

आयु - 18-75 वर्ष

(60 वर्ष से अधिक आयु के लिए सह-कर्जदार आवश्यक)

अवधि - 3 वर्ष

पात्रता -

- पश्चिम बंगाल और ओडिशा को छोड़कर कम से कम 2 एकड़ स्वयं की जमीन/जल फैलाव क्षेत्र
- पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए 1 एकड़
- मत्स्य पालन में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव

कर्ज राशि - ₹.25,001 - ₹.2.5 करोड़

विशेष खूबियाँ

- मत्स्य पालन में संलग्न किसानों का बार-बार होनेवाले खर्चों और निवेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए
- सरल कागजी कार्डवार्ड
- अपनी और पट्टे की भूमि का संयोजन का लौचिक अनुपात

पोलट्री पावर

उद्देश्य

- इकाइयों की कार्यशील पैँजी (ओडी) और टर्म लोन की आवश्यकताओं के लिए
- पोलट्री शेड और अन्य अचल संपत्तियों के निर्माण के लिए प्रतिपूर्ति

विशेषताएं

आयु - 18–75 वर्ष

(60 वर्ष से अधिक आयु के लिए सह-कर्जदार)

अवधि - 3 वर्ष

पात्रता -

- व्यक्ति/ प्रॉपराइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म और कंपनियाँ
- ब्रॉयलर फार्म में न्यूनतम झुंड का आकार 2000 पक्षी प्रति चक्र
- लेयर फार्म में न्यूनतम बैच का आकार 10,000 पक्षी

अनुभव -

ए. लेयर्स फार्म्स: न्यूनतम 3 वर्ष

बी. ब्रॉयलर फार्म्स: न्यूनतम 2 वर्ष

कर्ज राशि - ₹.2,00,000 – ₹.5 करोड़

विशेष खूबियाँ

- व्यक्ति और कंपनियों सहित विविध प्रोफाइल्स को स्वीकार करता है
- कुल कर्ज पात्रता का आसान आकलन
- ₹.10 लाख तक की सुविधाएँ कृषि संपत्ति से सुरक्षित की जा सकती हैं

डेरी पावर

उद्देश्य

यह स्किम पशु पालन करनेवाले किसानों को कर्ज की सुविधाएँ देने के लिए है जो दो वर्ष या अधिक के अनुभव के साथ किसी डेरी यूनिट से जुड़े हैं।

आकलन दुग्ध व्यवसाय संबंधी गतिविधि से जुड़े किसान के नकद प्रवाह पर आधारित होगा।

विशेषताएं

आयु - 18-75 वर्ष

(60 वर्ष से अधिक आयु के लिए सह-कर्जदार आवश्यक)

अवधि - 39 महीने

कर्ज का प्रकार -

- ओवरड्राफ्ट - कार्यशील पूँजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
- टर्म लोन - दुध व्यवसाय की गतिविधि के लिए न्यूनतम कर्ज सीमा: रु. 25,001/-

अधिकतम कर्ज सीमा: रु. 5,00,000/-*

*जहां स्टैंडअलोन टीएल/ओडी की पेशकश की जाती है, वहां रु.2.50 लाख दिए जाते हैं।

पात्रता -

- दूध की मासिक आपूर्ति के ज़रिए डेरी यूनिट/मिल्क सोसायटी/मिल्क यूनियन के साथ दो वर्ष का जुड़ाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए
- दूध की धनराशि को ऐक्सिस बैंक के ओडी/एसबी खाते के मार्ग से दिया जाना चाहिए

विशेष खूबियाँ

- यह स्किम पशु पालन में शामिल नकद प्रवाह की पद्धति और कर्ज की जरूरत को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से रचा गया है
- कोई भी जमानत रखने की जरूरत नहीं है

पीएम कुसुम (प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान)

उद्देश्य

किसानों के योगदान को पूरा करने के लिए:

- कृषि पंप से जुड़े ग्रिड का सोलराइजेशन
- सोलर कृषि पंप का संस्थापन और कृषि पंप से जुड़े ग्रिड का सोलराइजेशन
- सोलर पावर प्लांट्स का बंजर/परती जमीन पर या किसान के स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर संस्थापन करना

विशेषताएं

आयु – 18–75 वर्ष

(60 वर्ष से अधिक आयु के लिए सह-कर्जदार आवश्यक)

वित्त पोषण के विवरण –

- सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस (कृषि पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत का 30% जो भी कमतर हो)
- राज्य सरकार: 30%
- किसान का योगदान: 40%
(बैंक फाइनेंस: 30% और किसान का आरंभिक भुगतान: 10%)

पूर्वोत्तर के राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, लक्षद्वीप और अंदमान व निकोबार द्वीप समूहों के लिए सब्सिडी)

- सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस (कृषि पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत का 50% जो भी कमतर हो)
- राज्य सरकार: 30%
- किसान का योगदान: 20%
(बैंक फाइनेंस: 10% और किसान का आरंभिक भुगतान: 10%)

विशेषताएं

पात्रता – न्यूनतम 5 एकड़

5 लाख से अधिक की गैर कृषि आय अनिवार्य है यदि किसान इन बातों के लिए धन का उपयोग करते हैं:

- कृषि पंप से जुड़े ग्रिड का सोलराइजेशन
- सोलर पावर प्लांट्स का बंजर/परती जमीन पर या किसान के स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर स्टिल्ट स्वरूप में संस्थापन करना

विशेष खूबियाँ

- किसान की ओर से मार्जिन की आवश्यकताएँ: पंप की बेंचमार्क लागत का सिर्फ 10%
- फसल से नकद प्रवाह के स्रोत के आधार पर मासिक/ त्रैमासिक/अर्ध वार्षिक चुकौती
- सोलर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित पावर प्लांट्स के लिए उनकी बंजर और परती जमीन का उपयोग करते हुए आय का अतिरिक्त स्रोत निर्मित करने में मदद करता है

दस्तावेजों की सूची

1. आधार कार्ड (केवाईसी)
2. निम्नलिखित में से कोई एक (केवाईसी)
 - पैन कार्ड
 - मतदाता पहचान पत्र
 - वैध पासपोर्ट
 - ड्राइविंग लाइसेंस
3. आवेदन फॉर्म
4. फ़िल्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट (रिलेशनशिप मैनेजर द्वारा किया जाना चाहिए)
नीचे वर्णित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी
 1. जमीन के दस्तावेज (7/12, 8ए, पट्टा, चिट्ठा इत्यादि) और/या संपत्ति के दस्तावेज
 2. विद्यमान लोन अकाउंट स्टेटमेंट (यदि लोन/डीपीडी ब्यूरो में नहीं दिख रहा है)

कृपया ध्यान दें: दस्तावेज केवल सांकेतिक स्वरूप के हैं, कागजी कार्रवाई का स्वरूप योजना दर योजना के अनुसार और कर्ज की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर बदलेगा